

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक: एफ 7(2)ग्रावि/गुप-1/2015

जयपुर, दिनांक : 28 JUL 201

—: आदेश :-

श्री संजय सारण, अधिशाषी अभियन्ता(अभियांत्रिकी), जिला परिषद, जयपुर को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा (ए.पी.ओ.) में किया जाकर इनका मुख्यालय, ग्रामीण विकास, शासन सचिवालय, जयपुर किया जाता है ।

श्री सारण अपने पद का कार्यभार श्री विनोद कुमार उपाध्याय, सहायक अभियन्ता (अभियांत्रिकी), जिला परिषद, जयपुर को संभलवाकर आदेशों की प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन), ग्रामीण विकास, जयपुर को तत्काल प्रस्तुत करेगे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी ।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।


(सीमा सिंह)

संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास राज. जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, जयपुर ।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया श्री सारण को तत्काल कार्यमुक्त करें ।
6. श्री संजय सारण, अधिशाषी अभियन्ता(अभि.), जिला परिषद, जयपुर को पालनार्थ ।
7. श्री विनोद कुमार, सहायक अभियन्ता(अभि.) जिला परिषद, जयपुर ।
8. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास का वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।


28/07/2016
(राजेश कुमार शर्मा)
परियोजना अधिकारी(प्रशासन)